



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273336
CG-DL-E-11062026-273336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2831]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2831]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

का.आ. 2925(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 561A पर टेंभुर्णी-पंढरपुर-मंगळवेढा मार्ग पर चैनिय (Ch.) कि.मी. 37+765 पर भीमा नदी पर प्रमुख पुल (Major Bridge) (अहिल्या ब्रिज) का निर्माण, उसके एप्रोच मार्गों सहित, तथा शेष लंबाई का निर्माण कार्य कि.मी. 36+190 से कि.मी. 37+350 एवं कि.मी. 38+030 से कि.मी. 38+890 तक, ईपीसी (EPC) पद्धति के अंतर्गत तक के भू-खण्ड के निर्माण प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. 7 (मोहोळ), सोलापुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की

सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 561A पर टेंभूर्णी-पंढरपुर-मंगळवेढा मार्ग पर चैनज (Ch.) कि.मी. 37+765 पर भीमा नदी पर प्रमुख पुल (Major Bridge) (अहिल्या ब्रिज) का निर्माण, उसके एप्रोच मार्गों सहित, तथा शेष लंबाई का निर्माण कार्य कि.मी. 36+190 से कि.मी. 37+350 एवं कि.मी. 38+030 से कि.मी. 38+890 तक, ईपीसी (EPC) पद्धति आदि के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पंढरपुर					
गांव का नाम: भटुंबरे					
1	11/1	निजी	जिरायत	0.0702 (हेक्टेयर)	0.0702
2	11/2	निजी	जिरायत	0.0404 (हेक्टेयर)	0.0404
3	5	निजी	जिरायत	0.1508 (हेक्टेयर)	0.1508
4	8	निजी	जिरायत	0.1106 (हेक्टेयर)	0.1106
गांव का नाम: पंढरपुर					
5	121	निजी	जिरायत	0.1207 (हेक्टेयर)	0.1207
6	122/2/C Part	निजी	जिरायत	0.2954 (हेक्टेयर)	0.2954
7	123/2/C Part	निजी	जिरायत	0.0123 (हेक्टेयर)	0.0123
Total					0.8004

[फा. सं. RW/NH/12014/28/2024/MAH/Zone-IV/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2026

S.O. 2925(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building maintenance, management and operation of Construction of Major Bridge (Ahilya Bridge) on Bhima River at Ch km 37+765 along with approaches on Tembhorni-Pandharpur-Mangalwedha road and Construction of balance length from km 36+190 to km37+350 and from km 38+030 to km 38+890 on NH 561A on EPC mode in the state of Maharashtra. in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, , Deputy Collector Land Acquisition No.7 (Mohol), Solapur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired **Construction of Major Bridge (Ahilya Bridge) on Bhima River at Ch km 37+765 along with approaches on Tembhorni-Pandharpur-Mangalwedha road and Construction of balance length from km 36+190 to km 37+350 and from km 38+030 to km 38+890 on NH 561A on EPC mode in the state of Maharashtra.**

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pandharpur					
Village: Bhatumbare					
1	11/1	Private	Dry	0.0702 (Hectare)	0.0702
2	11/2	Private	Dry	0.0404 (Hectare)	0.0404
3	5	Private	Dry	0.1508 (Hectare)	0.1508
4	8	Private	Dry	0.1106 (Hectare)	0.1106
Village: Pandharpur					
5	121	Private	Dry	0.1207 (Hectare)	0.1207
6	122/2/C Part	Private	Dry	0.2954 (Hectare)	0.2954
7	123/2/C Part	Private	Dry	0.0123 (Hectare)	0.0123
Total					0.8004

[F. No. RW/NH/12014/28/2024/MAH/Zone-IV/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director